रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3908] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2019/अग्रहायण 14, 1941
No. 3908] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2019/AGRAHAYANA 14, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4353(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक या लाभदायक है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को प्लग्स एंड सॉकेट–ऑउटलेट्स तथा एक्टिव एनर्जी हेतु अल्टर्नेटिंग करंट डाइरेक्ट कनेक्टेड स्टेटिक प्रीपेमेंट मीटर (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र दिनांक 01.06.2020 से प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- नीचे उल्लिखित तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा :

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्लग्स और सॉकेट–ऑउटलेट्स	आईएस 1293:2005	250 वोल्ट तक और 250 वोल्ट सहित रेटेड वोल्टेज और 16 एम्पीयर तक और 16 एम्पीयर सहित रेटेड करंट के प्लग्स और सॉकेट–ऑउटलेट– विशिष्टि
2.	एक्टिव एनर्जी हेतु अल्टर्नेटिंग करंट डाइरेक्ट कनेक्टेड स्टेटिक प्रीपेमेंट मीटर	आईएस 15884:2010	एक्टिव एनर्जी हेतु अल्टर्नेटिंग करंट डाइरेक्ट कनेक्टेड स्टेटिक प्रीपेमेंट मीटर (वर्ग 1 और 2) – विशिष्टि

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होंगे। ।

[फा.सं.पी-29014/39/2017-एलईआई]

मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 4th December, 2019

S.O. 4353(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) This Order may be called the Plugs and Socket-Outlets and Alternating Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy (Quality Control) Order, 2019.

(2) It shall come into force with effect from 01.06.2020.

2. Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (2) of the below mentioned Table shall conform to the corresponding Indian Standard as specified in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and enforcement authority. – The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Plugs and socket-outlets	IS 1293:2005	Plugs and socket-outlets of Rated Voltage up to and including 250 Volts and Rated current up to and including 16 amperes – specification
2.	Alternating Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy	IS 15884:2010	Alternating Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy (Class1 and 2)- Specification

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-29014/39/2017-LEI]

MANMEET K. NANDA Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.06 21:39:10 +05'30'